भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3814
जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

चुनावी बॉण्ड

3814. श्री अब्दुल खालेक :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चुनावी राजनीति में काले धन के प्रवाह के संबंध में चुनावी बॉण्डों का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तारीख तक चुनावी बॉण्ड के माध्यम से कुल कितनी धनराशि एकत्र की गई है; और

(ग) असम के राज्य दलों सहित विभिन्न दलों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) ने सूचित किया है कि निर्वाचन बांड योजना, वास्तव में, राजनीतिक दलों के निधिकरण की प्रक्रिया को साफ करने और नगद में दान के माध्यम से राजनीतिक दलों के निधिकरण की पारंपरिक प्रथा में बड़ा सुधार करने की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है । क्रेता को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी केवाईसी मानकों के संबंध में सभी विद्यमान उद्देशों को पूरा करने और बैंक खाते से भुगतान करने पर ही निर्वाचन बांड खरीदने की अनुमति है । बांड के जारी करने के लिए सभी भुगतान केवल भारतीय रूपयों, डिमांड ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से या इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग प्रणाली के माध्यम से या क्रेता के खाते से सीधे विकल्प द्वारा स्वीकार किए जाते हैं ।

(ख) : डीईए द्वारा प्रदान की गयी सूचना के अनुसार, आज तक विक्रय किए गए निर्वाचन बांडो की कुल रकम 13791.89 करोड़ रूपए है । आज तक मोचन किए गए निर्वाचन बांडों की कुल रकम 13768.01 करोड़ रूपए है । 23.88 करोड़ रूपए रकम के निर्वाचन बांडों का विक्रय किया गया है लेकिन इन्हें भुनाया नहीं गया, जिसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) में जमा किया गया है ।

(ग) : डीईए ने सूचित किया है कि राजनीतिक दल-वार भुनाए गए निर्वाचन बांड का विवरण केन्द्रीय रूप से एसबीआई में एकत्र नहीं किया जाता है और इसलिए उपलब्ध नहीं है ।

****